न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–67/2017/भीलवाड़ा (2017/00048)

1. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 लादू नायक, नि0 बेसकलाई, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. भगवती पुत्री स्व0 लादू नायक, निवासी बेसकलाई, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
3. सुमिता पुत्री स्व0 लादू नायक, निवासी बेसकलाई, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. रेखा पत्नि ओमप्रकाश नायक, निवासी दौलतपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 14.6.2017 अंतर्गत अपील संख्या 8/2017.

उपस्थितः–

1. श्री मनीष व्यास, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 8.2.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रथम अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 949 दिनांक 29.6.2015 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तथाकथित इंतकाल अपीलांट्स के साथ–साथ रेखा पत्नि ओमप्रकाश का अंकन गलत होने से उक्त नामांतकरण अंशतः निरस्तनीय है । विद्वान जिला

कलक्टर, भीलवाड़ा ने निर्णय दिनांक 14.6.2017 को निर्णय पारित कर अपीलांट्स की अपील अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के रहने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने तहसीलदार, बनेड़ा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 949 दिनांक 29.6.2015 को बहाल रखने में त्रुटि कारित की है । नामांतकरण संख्या 949 पर पटवारी हल्का ने सजरे में स्पष्ट रूप से अंकित किया है था कि रेस्पो0 रेखा ने पति की मृत्यु उपरांत पुनर्विवाह कर लिया था । इस प्रकार रेस्पो0 रेखा द्वारा पुनर्विवाह करने से उसका लादू की सम्पति में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रह गया था । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 रेखा ने अपने पूर्व पति की मृत्यु उपरांत ओमप्रकाश, निवासी दौलतपुरा के साथ नाता विवाह कर लिया है तथा मृतक पति के कोई संतान नहीं थी । रेस्पो0 अपने दूसरे पति के साथ निवास कर रही है तथा दूसरे पति की जमीन का उपयोग व उपभोग कर रही है । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार रेस्पो0 के पति का नाम ओमप्रकाश है । विद्वान वकील ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 24 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के अंतर्गत नामांतकरण संख्या 949 दिनांक 29.6.2015 को तस्दीक होने के समय रेस्पो0 रेखा, ओमप्रकाश की पत्नि थी एवं लादू दिनांक 21.1.2015 को फौत हुआ तथा रामप्रसाद दिनांक 6.10.2009 को फौत हुआ था जबकि रेखा ओमप्रकाश के नाते दिनांक 2.6.2011 को गई जिसकी लिखावट भी अधी0न्याया0 के समक्ष पेश की थी । रेस्पो0 रेखा के लादू के जीवनकाल में नाते चले जाने से रेखा लादू की सम्पति में कोई स्वत्व नहीं रखती थी । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 14.6.2017 एवं तहसीलदार, बनेड़ा का निर्णय दिनांक 296.2015 को निरस्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रकरण में मुख्य विवाद यह है क्या रेस्पो0 रेखा का खातेदार लादू के जीवन काल में पति रामप्रसाद की मृत्यु उपरांत अन्यंत्र नाते चले जाने से रेस्पो0 का मृतक लादू की आराजियात में हक व हिस्सा है अथवा नहीं । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलमीमों का अवलोकन किया गया । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के

समक्ष प्रस्तुत अपीलमीमों के पैरा संख्या 2 में यह अंकित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह कर लेने के उपरांत भी उक्त आराजियात का नामांतकरण अपीलांट्स के साथ–साथ प्रत्यर्थी का भी नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया है तथा रामप्रसाद की मृत्यु के वक्त प्रत्यर्थी उसकी पत्नि नहीं थी, अतः उक्त अंकन गलत दर्ज किया गया है । इसके विपरीत न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट्स ने अपने अपीलमीमों के पैरा संख्या 6 में यह अंकित किया है कि रामप्रसाद दिनांक 6.10.2009 को फौत हुआ है तथा रेस्पो0 रेखा ओमप्रकाश के नाते दिनांक 2.6.2011 को गई है। एकतरफ तो अपीलांट्स अधी0न्याया0 के समक्ष रामप्रसाद की मृत्यु के समय रेस्पो0 रेखा को रामप्रसाद की पत्नि नहीं होने का कथन करते है तथा दूसरी तरफ न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपीलमीमों में रामप्रसाद की मृत्यु उपरांत लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् दिनांक 2.6.2011 को ओमप्रकाश के नाते जाने का कथन किया है । इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपीलमीमों के कथनों में विरोधाभास है । अपीलांट्स किसी भी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि रामप्रसाद की मृत्यु पूर्व रेस्पो0 रेखा ने ओमप्रकाश से नाता विवाह कर लिया था । अपीलांट्स ने अधी0न्याया0 के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसमें रेस्पो0 रेखा के पति का नाम ओमप्रकाश दर्ज है किन्तु उक्त पहचान पत्र दिनांक 31.3.2014 को जारी किया गया है जो रामप्रसाद की मृत्यु के पश्चात् का है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध नामांतकरण संख्या 949 के अवलोकन से भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि लादू नायक की मृत्यु होने पर विरासत का इंतकाल संख्या 949 दायर किया जिसमें वारिसान कैलाश पुत्र, पुत्रवधु रेखा पत्नि रामप्रसाद, भगवती, सुमित्रा, नर्बदा पुत्रियों के नाम अंकित है । इसमें रामप्रसाद एवं नर्बदा के फौत होने का अंकन भी है । रामप्रसाद के कोई औलाद नहीं होने से बेवा रेखा के रामप्रसाद की मृत्यु के डेढ़ वर्ष पश्चात् नाता विवाह किये जाने के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा अंकन किया हुआ है। इस अंकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 रेखा रामप्रसाद की मृत्यु उपरांत ही ओमप्रकाश के साथ नाता पुनर्विवाह किया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 की अनुसूचि प्रथम के अनुसार रेस्पो0 रेखा प्रथम श्रेणी की वारिस होने से तहसीलदार, बनेड़ा ने लादू की मृत्यु उपरांत रामप्रसाद की बैवा रेखा के नाम विरासत का नामांतकरण तस्दीक किया है जो उचित है । विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा ने भी उक्त नामांतकरण को यथावत् रखा है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अपीलांट्स दस्तावेजी साक्ष्यों से अपील को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 14.6.2017 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 67/2017 (2017/00048) बउनवानी कैलाशचन्द्र व अन्य बनाम रेखा को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 8/2017 बउनवान कैलाशचन्द्र बनाम रेखा में पारित निर्णय दिनांक 14.6.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 8.2.2018को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर